प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरू

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) .....

पीठासीन अधिकारी :– श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

कमला देवी ..... उनवान बनाम .....

दावा बाबत ..... U/S 88 RTA

मुकदमा नम्बर :– 98 / 2022

निर्णय दिनांक :– 01.06.2022

वादी की ओर से ..... की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.06.2022 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरू के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – दावा वादिगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत पड़ासपुरा की पंजीकृत खाता नं. 125 में 70 5, 49, 50, 93, 98, 116 में दर्ज कमला पत्नि देवकरण, पुत्र नरेन्द्र कुमार पुत्र, मंजू पुत्री की वल्दियत बीकर्ल के बजाय बीकानेर लिखे जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार चूरू अभिलेखों में आवश्यक संशोधन करेंगे। वादीगण के पक्ष में कोई आर्थिक दायित्व नहीं होगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 01.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़			

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:00:42 IST
Reason: SelfAttested

नि० 20703
03/06/2022

Scanned with CamScanner